कार्यालय
सहायक अभियन्ता–द्वितीय
मेरठ खण्ड गंगा नहर
मेरठ।,

पत्रांकः 212 स0अ0–2/एन0ओ0सी0/स्कूल सत्यापन/ दिनांक 01/04/2023

विषयः जनपद मेरठ के अन्तर्गत बाल शिशु मन्दिर, उच्चतर माध्यमिक विधालय रामराज की जॉच नैशनल बिल्डिंग कोड के अनुरूप कर आख्या उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

संदर्भः आपका पत्रांक–855/मेखगंनमे/एन0ओ0सी0/स्कूल सत्यापन/ दिनांक 16.02.2023

अधिशासी अभियन्ता, मेरठ खण्ड, गंगा नहर, मेरठ।

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करे, जिसके द्वारा मुख्य विकास अधिकारी, जनपद मेरठ के पत्रांक सं0–1203/ एस0टी0–सी0डी0ओ0–2022, दिनांक 08.02.2023 के साथ प्रकरण संलग्न कर बाल शिशु मंदिर, उच्चतर माध्यमिक विधालय, रामराज जनपद मेरठ, की जॉच नैशनल बिल्डिंग कोड के अनुरूप कर जॉच आख्या उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 25.02.2023 को बाल शिशु मंदिर, उच्चतर माध्यमिक विधालय, रामराज जनपद मेरठ, का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण/जॉच में पाया गया कि उक्त भवन दो मंजिला पूर्ण रूप से बना हुआ है, उक्त स्कूल/संस्थान में शौचालय व पानी की व्यवस्था भी समुचित है, तथा फायर सर्विस की व्यवस्था सही पायी गयी, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, जनपद मेरठ द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र की छायाप्रति संलग्न है।

उक्त के परिपेक्ष्य में उल्लेखनीय है कि बाल शिशु मंदिर, उच्चतर माध्यमिक विधालय, रामराज जनपद मेरठ, के भवन निर्माण कार्य नैशनल बिल्डिंग कोड–2005, के भाग–4, यथा संशोधित–2016 के अनुरूप पाये गये, व भवन सुरक्षित है। भवन में नैशनल बिल्डिंग कोड द्वारा वॉछित फायर सुरक्षा उपकरण लगे हुए पाये गये।

अतः बाल शिशु मंदिर, उच्चतर माध्यमिक विधालय, रामराज जनपद मेरठ, को नैशनल बिल्डिंग कोड के अनुरूप भवन बनाये जाने सम्बन्धी प्रमाण–पत्र निर्गत करने हेतु संस्तुति सहित अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न–उपरोक्तानुसार मूल प्रकरण।

Rajesh 01/4/23

सहायक अभियन्ता–द्वितीय
मेरठ खण्ड गंगा नहर
मेरठ।

D/Man

EE
01/04/23

e/s
अधिशासी अभियन्ता
मेरठ खण्ड गंगा नहर, मेरठ

D